रिविजनल सिविल

माननीय न्यायमूर्ति बाल राज तुल के समक्ष

जगन नाथ, आदि - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

टेक चंद, *आदि* - *उत्तरदाता।*

1972 का सीआर नंबर 1197।

15 मार्च, 1974।

***सिविल प्रक्रिया संहिता* (1908 का अधिनियम V) - *धारा* 115 (सी), *आदेश V नियम* 1, 2 और 20 और *आदेश IX नियम* 13 - वाद की प्रति के बिना मुकदमे में प्रतिवादी को समन की सेवा - क्या 'उचित सेवा' - समन के साथ वाद-पत्र की *प्रति* के बिना पंजीकृत डाक द्वारा प्रतिवादी को भेजे गए मुकदमे का समन - *प्रतिवादी को पंजीकृत कवर प्राप्त करने से इनकार करना - ऐसे प्रतिवादी*- प्रतिवादी ने 'विधिवत सेवा' नहीं *की, बल्कि एकपक्षीय अदालत के खिलाफ कार्यवाही की - क्या उसके पास एकपक्षीय* डिक्री को रद्द *नहीं करने का विकल्प है* - प्रतिवादी के खिलाफ *एकतरफा डिक्री* को रद्द करने से इनकार करने वाला आदेश - *क्या धारा 115 (सी)* के तहत संशोधन योग्य है।

माना जाता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश V के नियम 1 और 2 के अनुसार, एक समन केवल तभी 'विधिवत तामील किया जाता है' जब यह होता है

वादपत्र की एक प्रति या, यदि अनुमति दी जाए, तो उसके संक्षिप्त विवरण के साथ परोसा जाता है। यदि किसी प्रतिवादी को केवल समन दिया जाता है या दिया जाता है, तो उस पर समन की कोई 'उचित सेवा' नहीं होती है। केवल समन जारी करना 'यथोचित सेवा' का पर्याय नहीं है जैसा कि संहिता के आदेश IX, नियम 13 में उपयोग किया गया है। जब एक प्रतिवादी को वाद की प्रति के बिना मुकदमे का समन दिया जाता है, तो मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायालय के पास इसे एकतरफा तय करने के लिए आगे बढ़ने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं *है।*

यह माना गया है कि किसी मुकदमे में प्रतिवादी को पंजीकृत डाक द्वारा समन की सेवा संहिता के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है। अदालत यह मानने का हकदार है कि समन तब दिया गया है जब प्रतिवादी उसे दिए जाने पर पोस्टल कवर प्राप्त करने से इनकार करता है और डाक कर्मचारी उस कवर को इस समर्थन के साथ अदालत को लौटाता है कि उसे देने से इनकार कर दिया गया था। हालांकि, जहां प्रतिवादी को केवल वाद-पत्र की प्रति के बिना पंजीकृत कवर में समन भेजा जाता है, फिर भले ही यह मान लिया जाए कि उसे पंजीकृत लिफाफे को स्वीकार करने से इनकार करने के कारण समन दिया गया है, लेकिन यह माना जा सकता है कि उसे आदेश वी के तहत मुकदमे का समन दिया गया था, संहिता का नियम 1 लेकिन वाद की एक प्रति के बिना, जिसे 'उचित सेवा' का गठन करने के लिए आदेश वी, नियम 2 के तहत समन के साथ उसे भेजा जाना आवश्यक था। ऐसे प्रतिवादी को विधिवत सेवा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए जहां एक प्रतिवादी यह मामला बनाता है कि उसे समन के साथ 'विधिवत सेवा' नहीं दी गई थी, तो अदालत के पास संहिता के आदेश 9 के नियम 13 के पहले भाग के तहत उसके खिलाफ पारित एकतरफा डिक्री को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

यह माना गया कि जहां न्यायालय एक *प्रतिवादी* के खिलाफ पारित एकतरफा डिक्री को रद्द करने से इनकार करता है, जिसे आदेश 9, नियम 13 में उपयोग किए गए वाक्यांश के चिंतन के भीतर 'विधिवत सेवा' नहीं दी गई थी। न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अवैध रूप से और भौतिक अनियमितता के साथ करता है और ऐसा आदेश संहिता की धारा 115 के खंड- (सी) के तहत संशोधित किया जा सकता है।

1919 के *अधिनियम ज़ेएक्स* की धारा 41 *और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा* 115 के तहत चंडीगढ़ के जिला न्यायाधीश श्री एसएस सोढ़ी के *23 अक्टूबर, 1972 के आदेश में संशोधन के लिए याचिका दायर की गई है, जिसमें 3 मई* , 1972 *को चंडीगढ़ के प्रथम श्रेणी के उप-न्यायाधीश श्री हरनाम सिंह के आदेश की पुष्टि की गई है* ।

याचिकाकर्ताओं की ओर से सी. *पी. सपरा, अधिवक्ता,* 4

एस. के. अग्रवाल, वकील, *प्रतिवादी* 1.

निर्णय

टेक चंद प्रतिवादी ने श्री जगन नाथ, प्रोपराइटर, राज कुमार एंड कंपनी (प्रतिवादी नंबर 1) और मेसर्स राज कुमार एंड कंपनी के खिलाफ 7,590 रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। कमीशन एजेंट,

श्री जगन नाथ, रोपड़ (प्रतिवादी नंबर 2) के माध्यम से, 17 अक्टूबर, 1970 को। विद्वान उप-न्यायाधीश ने 20 अक्टूबर, 1970 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

> वादी के लिए वर्तमान वकील। मुकदमा पंजीकृत किया जाए। बचाव पक्ष को 10 नवंबर, 1970 को तलब किया जाए। वादी के वकील अनुरोध करते हैं कि समन पंजीकृत डाक द्वारा जारी किया जाए। यह किया जाना चाहिए। तीन दिनों में पंजीकृत कवर।

10 नवंबर, 1970 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

> पीठ ने कहा, "वादी के लिए वर्तमान वकील। पंजीकृत कवर की पावती वापस प्राप्त नहीं हुई है। प्रतिवादियों के समन 4 दिसंबर, 1970 के लिए फिर से जारी किए जाएं। तीन दिनों में पी. शुल्क।

4 दिसंबर, 1970 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

> "वादी के लिए वर्तमान वकील। पंजीकृत डाक द्वारा प्रतिवादी को भेजा गया समन इस रिपोर्ट के साथ वापस प्राप्त हुआ है कि उसने इसे प्राप्त करने से इनकार कर दिया है। वह अनुपस्थित है। मैं संतुष्ट हूं कि प्रतिवादी को सेवा दी गई है लेकिन वह अनुपस्थित है। इसलिए प्रतिवादी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। 29 दिसंबर, 1970 को एकपक्षीय साक्ष्य के लिए पेश किया जाएगा।

29 दिसंबर, 1970 को एकपक्षीय साक्ष्य दर्ज किए गए और 30 दिसंबर, 1970 को अकेले जगन नाथ

(प्रतिवादी नंबर 1) के खिलाफ वादी का मुकदमा सुनाया गया। जगन नाथ ने 27 जनवरी, 1971 को एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9, नियम 13 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें उन्होंने दलील दी कि उन्हें 30 दिसंबर, 1970 तक सेवा नहीं दी गई थी और मुकदमे के बारे में पता नहीं था; उन्हें 24 जनवरी, 1971 को उनके खिलाफ पारित एकपक्षीय डिक्री के बारे में पता चला जब डिक्री-धारक द्वारा डिक्रील राशि के भुगतान की मांग की गई थी। उन्होंने आगे दलील दी कि चूंकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत की प्रक्रिया के साथ सेवा नहीं दी गई थी, इसलिए उन्हें मुकदमे के बारे में पता नहीं हो सकता था और आवेदन सीमा की वैधानिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा था। टेक चंद प्रतिवादी ने उस आवेदन का विरोध किया और कहा कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को 4 दिसंबर, 1970 के लिए विधिवत सेवा दी गई थी, और चूंकि वह जानबूझकर उस तारीख को उपस्थित नहीं हुए, इसलिए एकतरफा कार्यवाही सही ली गई थी।

और एकपक्षीय आदेश को रद्द करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए: -

(1) क्या एकपक्षीय आदेश को निरस्त करने का पर्याप्त कारण है?

(2) मदद।

साक्ष्य दर्ज करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता को 4 दिसंबर, 1970 के लिए मुकदमे के समन के साथ दिया गया था, क्योंकि उसने उसे भेजे गए पंजीकृत लिफाफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यह भी पाया गया कि उन्हें मुकदमे की जानकारी थी क्योंकि नवंबर, 1970 के महीने में समझौते के बारे में कुछ बात की गई थी, लेकिन जो सफल नहीं हुई। दर्ज किए गए सबूतों पर ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मुद्दा नंबर 1 तय किया और 3 मई, 1972 को उसके आवेदन को खारिज कर दिया। उस डिक्री के खिलाफ याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर की जिसे 23 अक्टूबर, 1972 को चंडीगढ़ के विद्वान जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। संशोधन के लिए वर्तमान याचिका उस आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है।

(3) पुनरीक्षण में, यह न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब मामला नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के खंडों में से एक के भीतर आता है। यह खंड निम्नानुसार है:-

"एस 115। उच्च न्यायालय ऐसे किसी मामले का रिकॉर्ड मांग सकता है जो ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा तय किया गया हो और जिसमें कोई अपील न हो, और यदि ऐसा अधीनस्थ न्यायालय प्रकट होता है-

(1) एक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जो कानून द्वारा इसमें निहित नहीं है, या

(2) इस तरह निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में विफल रहा है, या *

(3) यदि उसने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ किया है, तो उच्च न्यायालय इस मामले में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझता है।

इस धारा के खंड (क) और खंड (ख) इस प्रकार हैं- लागू नहीं है, लेकिन मामला, मेरी राय में, खंड (सी) द्वारा कवर किया गया है।

(4) सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX, नियम 13 में *एकपक्षीय* आदेशों को निरस्त करने का प्रावधान है और यह निम्नलिखित शर्तों में है -

"किसी भी मामले में जिसमें प्रतिवादी के खिलाफ *एकतरफा* डिक्री पारित की जाती है, वह उस अदालत में आवेदन कर सकता है जिसके द्वारा डिक्री को रद्द करने के आदेश के लिए पारित किया गया था, और यदि वह अदालत को संतुष्ट करता है कि समन विधिवत रूप से तामील नहीं किया गया था, या उसे किसी भी पर्याप्त कारण से पेश होने से रोका गया था जब मुकदमा सुनवाई के लिए बुलाया गया था, न्यायालय लागत, न्यायालय में भुगतान या अन्यथा जैसी शर्तों के आधार पर उसके विरुद्ध डिक्री

को निरस्त करने का आदेश देगा और वाद पर कार्यवाही के लिए एक दिन नियत करेगा:

बशर्ते कि जहां डिक्री ऐसी प्रकृति की है कि इसे केवल ऐसे प्रतिवादी के खिलाफ रद्द नहीं किया जा सकता है, तो इसे सभी या किसी अन्य प्रतिवादी के खिलाफ भी रद्द किया जा सकता है।

इस नियम के दो भाग हैं, (i) यदि प्रतिवादी को विधिवत समन नहीं दिया गया था और (ii) यदि उसे विधिवत रूप से सेवा दी गई थी, लेकिन उसे किसी भी पर्याप्त कारण से पेश होने से रोका गया था, जब मुकदमा सुनवाई के लिए बुलाया गया था। यदि प्रतिवादी अदालत की संतुष्टि के लिए दो शर्तों में से कोई भी बनाने में सक्षम है, तो अदालत के पास एकतरफा डिक्री को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है । इसलिए, यह देखा जाना चाहिए कि मुकदमे के प्रतिवादी के रूप में याचिकाकर्ता को मुकदमे के समन के साथ विधिवत रूप से तामील किया गया था या नहीं। सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 1 के आदेश V में प्रावधान है कि जब कोई मुकदमा विधिवत रूप से स्थापित किया गया है, तो प्रतिवादी को एक समन जारी किया जा सकता है कि वह निर्दिष्ट दिन पर पेश हो और दावे का जवाब दे। ऐसे प्रत्येक समन पर न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए जिन्हें वह नियुक्त करता है, और उसे न्यायालय की मुहर लगानी होती है। यह इस प्रकार है कि समन प्रतिवादी को सूचित करने के लिए है कि उसके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया है जो एक निश्चित तारीख पर उसकी उपस्थिति के लिए तय किया गया है, जिसकी सूचना उसे समन द्वारा दी जा रही है। आदेश V के नियम 2 में प्रावधान है कि प्रत्येक समन के साथ वाद की एक प्रति या यदि अनुमति दी जाती है, तो एक संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। इन दोनों नियमों को एक साथ पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि समन केवल तभी विधिवत तामील माना जाएगा जब वाद-पत्र की प्रति या उसके संक्षिप्त बयान के साथ समन प्रतिवादी को दिया जाता है या उसे दिया जाता है। यदि उन्हें केवल समन दिया जाता है या उन्हें तामील किया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि समन की 'उचित सेवा' हुई है।

प्रतिवादी। प्रतिवादी को पंजीकृत डाक द्वारा समन की सेवा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश V, नियम 10 के तहत अनुमेय है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा संशोधित किया गया है और आदेश V, संहिता के नियम 20 ए के तहत, अदालत यह मानने की हकदार है कि समन की तामील की गई है यदि प्रतिवादी उसे दिए जाने पर डाक लिफाफा प्राप्त करने से इनकार करता है और डाक कर्मचारी उस लिफाफे को अदालत को लौटा देता है। इस बात का समर्थन करते हुए कि *जब प्रतिवादी* को यह दिया गया था तो उसे अस्वीकार कर दिया गया था। विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों को चुनौती देने की मांग नहीं की, कि प्रतिवादी को भेजे गए पंजीकृत कवर को वास्तव में उसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और याचिकाकर्ता जानता था कि वादी-प्रतिवादी द्वारा उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था क्योंकि वादी ने श्री तीरथ के साथ समझौते के लिए उससे संपर्क किया था। राम, जो विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपने गवाह के रूप में पेश हुए। इन दो तथ्यों के आधार पर, विद्वान ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ विद्वान जिला न्यायाधीश ने माना है कि याचिकाकर्ता अपने खिलाफ पारित एकतरफा डिक्री को रद्द करने के लिए कोई पर्याप्त कारण बनाने में विफल रहा था ।

(5) यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि; 1 न तो न्यायाधीश और न ही विद्वान जिला न्यायाधीश ने उस पंजीकृत लिफाफे को खोला जो याचिकाकर्ता को 4 दिसंबर, 1970 को भेजा गया था, और जिसे डाकिया ने 'अस्वीकार' टिप्पणी के साथ लौटा दिया था। मैंने पक्षकारों के वकील की उपस्थिति में उस लिफाफे को खोला और पाया कि याचिकाकर्ता को उस लिफाफे में केवल समन भेजा गया था, बिना वाद-पत्र की प्रति के। यहां तक कि अगर यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता को पंजीकृत लिफाफे को स्वीकार करने से इनकार करने के कारण समन दिया गया है, तो यह माना जा सकता है कि उसे आदेश वी, नियम 1, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमे का समन दिया गया था, लेकिन वाद की एक प्रति के बिना, जिसे आदेश वी के नियम 2 के तहत समन के साथ भेजा जाना आवश्यक था। 'यथोचित सेवा' का गठन करने के लिए। केवल समन की सेवा 'उचित सेवा' का पर्याय नहीं है जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX, नियम 13 में उपयोग किया गया है। केवल इसलिए कि प्रतिवादी को वाद की प्रति के बिना मुकदमे के समन के साथ दिया गया था, विद्वान ट्रायल कोर्ट के पास इसे एकतरफा तय करने के लिए आगे बढ़ने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था / यह केवल तभी किया जा सकता है जब प्रतिवादी को "विधिवत सेवा" दी गई हो, अर्थात, उसे वाद की एक प्रति के साथ समन दिया गया हो। पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए नोटिस की डिलीवरी लेने से इनकार करने को उस *पंजीकृत लिफाफे में भेजे गए दस्तावेज़ की सेवा का प्रथम दृष्टया प्रमाण माना जा सकता है, लेकिन किसी अन्य दस्तावेज का नहीं, जो कानून के तहत आवश्यक था।*

वह दस्तावेज लेकिन नहीं किया। एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश देने से पहले विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था। वर्तमान मामले में, यह नहीं माना जा सकता है या यह नहीं माना जा सकता है कि उन्हें समन के साथ वाद की प्रति भी दी गई थी। 3 मई, 1972 के अपने आदेश में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9, नियम 13 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करते हुए, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने केवल यह माना कि "प्रतिवादी यह दिखाने में पूरी तरह से विफल रहा है कि उसे सेवा नहीं दी गई थी और एकतरफा डिक्री को रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण है । इस बात का कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता को समन विधिवत रूप से दिया गया था। विद्वान जिला न्यायाधीश ने भी अपने अपीलीय आदेश में ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है। स्पष्ट रूप से, नीचे दिए गए न्यायालयों का ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं दिलाया गया था कि 'मात्र सेवा' 'देय सेवा' से भिन्न है, जैसा कि आदेश IX, नियम-13, सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विचार किया गया है। संहिता के आदेश V के नियम 2 की आवश्यकता है कि समन के साथ वाद की एक प्रति होगी, जिसका अर्थ प्रतिवादी को उसके खिलाफ दायर मुकदमे की प्रकृति के बारे में सूचित करना है ताकि वह यह तय कर सके कि उसका बचाव करना है या नहीं। यही कारण है कि समन की 'मात्र सेवा' को प्रतिवादी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करने के लिए अदालत को सशक्त बनाने के लिए 'उचित सेवा' नहीं माना जाता है।

(6) तदनुसार, मैं इस पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करता हूं और विद्वान ट्रायल कोर्ट और विद्वान जिला न्यायाधीश के आदेशों को रद्द करता हूं। याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई एकपक्षीय कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है और ट्रायल कोर्ट को मुकदमे को बहाल करने और कानून के अनुसार फैसला करने का निर्देश दिया जाता है। मामले की परिस्थितियों में, मैं पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देता हूं। पक्षकारों को उनके वकील के माध्यम से 8 अप्रैल, 1974 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषामें इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा